

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं०- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय- विभागान्तर्गत 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू. 1,00,94,000=00 (एक करोड़ चौरानवे हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने संस्थानों द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर विभागान्तर्गत 10 (दस) राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों यथा राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी/छपरा/मुजफ्फरपुर/ जमुई/ बांका/मोतिहारी/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/सीतामढ़ी/अररिया/ का.ना. सिंह रा.पो. समस्तीपुर में छात्र/ छात्राओं के लिए आवश्यक पुस्तकों के क्रय हेतु कुल रू. 80,00,000=00 (अस्सी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की है-

क्रम	संस्थान का नाम	स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	राजकीय पोलिटेकनिक, बरौनी	700,000.00
2	राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा	800,000.00
3	राजकीय पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर	800,000.00
4	राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई	800,000.00
5	राजकीय पोलिटेकनिक, बांका	800,000.00
6	राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी	800,000.00
7	राजकीय पोलिटेकनिक, पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	800,000.00
8	राजकीय पोलिटेकनिक, सीतामढ़ी	800,000.00
9	राजकीय पोलिटेकनिक, अररिया	800,000.00
10	का. ना. सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, समस्तीपुर	900,000.00
	कुल	8,000,000.00

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य स्कीम बजट के "मुख्यशीर्ष- 2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष- 00, लघु शीर्ष- 105-बहुशिल्प (पोलिटेकनिक) विद्यालय, मांग संख्या-43, उपशीर्ष- 0106- प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम" के अधीन 13 01 कार्यालय व्यय विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001050106 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थानों के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित कोषागारों से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से पुस्तकों का क्रय संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम के अनुसार किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्ब्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या- 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक- 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / -
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, कोषागार, मोतिहारी/बेतिया/बांका/मुजफ्फरपुर/ छपरा/ बेगुसराय/दलसिंहसराय/जमुई/अररिया/सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, मोतिहारी/पश्चिम चम्पारण (बेतिया)/ बांका/ मुजफ्फरपुर/छपरा/बरौनी/जमुई/सीतामढ़ी/अररिया/का.ना. सिंह रा.पो. समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या- वि. प्रा.(III) यो.-38/2018-

2350

/पटना, दिनांक-

6-9-2018

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
सरकार के उप सचिव

ह. / -
सरकार के उप सचिव

पु. (3) 27/18